भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2838

(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्य अध्ययन

2838. श्रीमती भारती पारधीः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां , तो पीएमजीएसवाई जिलावार , विशेषकर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने में किस हद तक प्रभावी रही है;

(ग) इस संबंध में सामने आई चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और इन चुनौतियों का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या पीएमजीएसवाई के प्रथम और द्वितीय चरण के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक विलंब हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन दो चरणों के अंतर्गत शेष लम्बाई की सड़कों के निर्माण और उन्हें पूरा करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कई एजेंसियों द्वारा किए गए हैं जैसे नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम-ए) और विश्व बैंक। इन अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि इस योजना ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुँच में सुधार किया है , कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान की है और किसानों को बेहतर कृषि

मूल्य प्राप्त करने में मदद की है। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में नवीनतम मूल्यांकन किया गया है, जिसमें योजना के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

i. यह योजना भारत के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में योगदान देती है , क्योंकि यह गरीबी , भूख और विकास के लिए बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करती है;

ii. पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों से परिवार और समुदाय दोनों के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया है;

iii. सड़कों से बाजार और आजीविका के अवसरों , स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच में वृद्धि देखी गई है; और

iv. पीएमजीएसवाई को ग्रामीण भारत में दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन की नींव रखने के लिए जाना जाता है। बेहतर ग्रामीण सड़क संपर्क ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में दीर्घकालिक और निरंतर वृद्धि प्रदान करता है क्योंकि यह परिवारों को धन और मानव संपदा एकत्रित करने की सुविधा प्रदान करता है।

पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों/पहलों के तहत , मध्य प्रदेश राज्य में कुल 89,725 कि.मी लंबी सड़कें और 1,413 पुल पूर्ण किए गए हैं और 17,539 बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान की गई है। बालाघाट जिले में पीएमजीएसवाई के तहत कुल 2,712 कि.मी लंबी सड़कें और 121 पुल पूर्ण किए गए हैं और 423 बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) योजना को क्रियान्वित करते समय राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कठिन एवं पहाड़ी भूभाग , सुरक्षा संबंधी मुद्दे , अपर्याप्त ठेका क्षमता , कार्य मौसम में व्यवधान, भूमि की उपलब्धता और वन मंजूरी संबंधी मुद्दे आदि।

पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों , राज्यों के साथ पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। जिला स्तर पर , जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) पीएमजीएसवाई सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। इसके अलावा , ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा पीएमजीएसवाई के तहत प्रगति की समीक्षा के लिए

राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(ङ) और (च) पीएमजीएसवाई-I की समाप्ति तिथि मार्च 2019 थी और पीएमजीएसवाई-II के लिए यह मार्च 2020 थी। विभिन्न कारणों से समयसीमा बढ़ाई गई थी , जैसे कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न व्यवधान , प्रतिकूल मौसम की स्थिति , कानून और व्यवस्था के मुद्दे , भूमि की उपलब्धता, लंबित मंजूरी आदि। पीएमजीएसवाई-I, II, III और आरसीपीएलडब्ल्यूईए की वर्तमान समयसीमा मार्च 2025 है। पीएमजीएसवाई-I और II के तहत मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पीएमजीएसवाई-I के तहत 15 कि.मी और पीएमजीएसवाई-II के तहत 7 कि.मी को छोड़कर लगभग सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम दिशानिर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकृत पीएमजीएसवाई परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

(i) पीएमजीएसवाई के परिचालन मैनुअल में संशोधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्य स्वीकृति की तिथि से 72 दिनों के भीतर शुरू हो जाएं।

(ii) राज्यों से निष्पादन क्षमता और अनुबंध क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और इस संबंध में उनके अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाती है।

(iii) बोली दस्तावेज़ प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(iv) क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(v) मंत्रालय ने राज्यों की कार्यान्वयन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को शामिल किया है।

(vi) मंत्रालय ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ठेकेदारों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में कई ठेकेदार आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

(vii) कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

******